



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128572

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 21088/2026

रवींद्रआवेदक (गण)

बनाम

उत्तर	प्रदेश	राज्य	प्रत्यर्थी	(गण)
-------	--------	-------	-----------------	------

आवेदक के अधिवक्ता : सुनील कुमार दुबे

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी,

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेखों का अवलोकन किया।
- वर्तमान जमानत आवेदन थाना-दोगहट, जिला-बागपत में मुकदमा अपराध संख्या 337/2025, अंतर्गत धारा 85, 80(2), 115(2) बीएनएस एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत आवेदक की ओर से उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक मृतक का ससुर है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फसाया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक के विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है और वर्तमान मामले को छोड़कर उसका कोई पिछला आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 17.02.2026 से जेल में बंद है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि मृतक की मृत्यु के कारण का पता नहीं लगाया जा सका और विसरा को सुरक्षित रखा गया था, विसरा रिपोर्ट आज तक अभिलेख पर नहीं लाई गई है। हालांकि, आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त व्यक्तियों, अर्थात् मधु (मृतक की सास) को इस न्यायालय की एक समकक्षी पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 13971/2026 में पारित आदेश दिनांक 26.05.2026 के माध्यम से पहले ही जमानत दी जा चुकी है। जमानत आदेश की प्रति जमानत आवेदन के पृष्ठ संख्या 86 पर संलग्न की गई है। इन परिस्थितियों में, आवेदक भी समानता (पारिटी) के आधार पर जमानत पर रिहा होने का हकदार है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाहियों में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया है, परंतु उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त, अर्थात् मधु को पहले ही जमानत दी जा चुकी है।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार करने और प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तु, अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के अवलोकन तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, दंड की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए और गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा यह सुविचारित मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बना लिया है। जमानत आवेदन समानता के आधार पर स्वीकार किया जाता है।
6. उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त आवेदक-रवींद्र को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए।

(i) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा जो उस अपराध के समान हो जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है, या संदेह है, या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से विमुख हो सके या वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(iii) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि न्यायालय में गवाहों की उपस्थिति के दौरान वह साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और कानून के अनुसार आदेश पारित करे।

(iv) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 229-ए (तदनुरूपी धारा 269 बीएनएस) के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सीआरपीसी की धारा 82 (तदनुरूपी धारा 84 बीएनएसएस) के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय आईपीसी की धारा 174-ए (तदनुरूपी धारा 209 बीएनएस) के तहत कानून के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही शुरू करेगा।

(vi) आवेदक (1) वाद को शुरू करने, (2) आरोप विरचित करने और (3) सीआरपीसी की धारा 313 (तदनुरूपी धारा 351 बीएनएसएस) के तहत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और कानून के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करे।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह विचारण न्यायालय द्वारा जमानत रद्द करने का एक आधार होगा।

(तेज प्रताप तिवारी, न्यायमूर्ति)

22 जून, 2026

मनोज

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"